7/5/23 वकील वादी 340/ वकील वादी ने जाहिर किया की वादी/प्रार्थी इस प्रा० पत्र को तोर नही चलाना चाहते है प्रा० पत्र को Note Based किया है अतः प्रार्थी का प्रा० पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर हो

Rajendra